

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ,

जिला- बुन्दी (राज.)

जगदीश केम खुलाब


8/26 शय/21.


रीज हुयम	हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स वज	मकल व तारीख अहकाम जो इस हुयम जो जारी में जारी है।
17/21 29/21	इजराय कम-पत्र/प्राथम्य पत्र अन्तर्गत धारा <u>इजराय</u> द्वारा द्वारा वकील श्री <u>राजेश सिंह नरनरु</u> पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर का जाकर प्रतिवादीगण/अप्राधीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि० <u>29/9/21</u> को पेश हो। पत्रावली अग्रसन मया के संग अभियान 2021 के तहत कोर्ट में दिनांक को पेश हो।	प्रशासन मांघो के संग अभियान 2021 केस को पोस्टिस जारी
30/21	पत्रावली आज प्रशासन मांघो के संग अभियान-2021 में केस ग्राम पंचायत <u>जगदीश</u> में पेश हुई। पत्रावली दिनांक <u>14/3/22</u> को पेश हो।	
14/3/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीतामह अधिकारी महोदय दौरे/ अघकारा/अन्व राजकार्य में तथारीक रखते है। पत्रावली दि <u>16/6/22</u> को पेश हो।	
16/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित है। तलब लीटर नैनवाँ से पालना अप्त नही हुई है। पत्रावली वास्तु इंतजार पालना दिनांक 4/8/22 को पेश हो।	
4/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीतामह अधिकारी महोदय दौरे/ अघकारा/अन्व राजकार्य में तथारीक रखते है। पत्रावली दि <u>17/11/22</u> को पेश हो।	
13/8/22	पत्रावली राष्ट्रीय लोड अदालत में चिन्हित किये जाने से आज पेश हुई इजराय उपनि पत्र पुकरण संख्या 88/दावा/2019 बडनवान जगदीश बनाम खुलाब वाई वर्ग 0 के निर्णय दिनांक 9.10.2020 की पालना में	

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त हुई।  
तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट के  
अनुसार ग्राम पाई पटवार हल्का फूतेता  
में नामान्तरण संख्या 712 दिनांक  
01.10.2021 से गुलाब बाई का नाम  
विलोपित करते हुए जगदीश पुत्र उंकार  
पुष्पा बाई पत्नी स्व० उंकार के पक्ष में  
स्वीकार हुआ है। तथा ग्राम मानपुरा  
पटवार मण्डल खानपुरा में नामान्तरण  
संख्या 546 दिनांक 11.08.2021 से गुलाब  
बाई का नाम विलोपित करते हुए जगदीश  
पुत्र उंकार, पुष्पा बाई पत्नी स्व० उंकार  
के पक्ष में स्वीकार किया गया है। अतः  
तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार  
न्यायालय निष्पत्ति की पालना की जा  
चुकी है। अतः इस इजराय प्रार्थना पत्र  
में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने  
से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।  
निष्पत्ति खुले न्यायालय में सुनाया गया।  
पत्रावली बाद तहसील दारखिल दफ्तर  
है।

  
सदस्य  
तालुक विधिक सेवा समिति

  
सदस्य  
तालुक विधिक सेवा समिति